



उत्तरांचल विधान सभा

उत्तरांचल विधान सभा की कार्यसूची

गुरुवार, 14 आश्विन, शक संवत्, 1927

(दिनांक : 06 अक्टूबर, 2005)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्प सूचित प्रश्न (देखिए नत्थी “क”)।
2. प्रश्न (देखिये नत्थी “ख”)।
3. निधन के निर्देश।
4. पंचायती राज मंत्री, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत) (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (संशोधन) नियमावली, 2005 की धारा 237 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत) (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (संशोधन) नियमावली, 2005 को सदन के पटल पर रखेंगे।
5. मुख्य मंत्री, लेखा-परीक्षा अधिनियम, 1984 की धारा 8(3) के अन्तर्गत वर्ष 2004-2005 का स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा प्रभाग का वार्षिक लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन एवं वर्ष 2004-2005 का सहकारी समितियां एवं पंचायतें लेखा-परीक्षा प्रभाग का वार्षिक लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखेंगे।
6. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
7. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा, “जनपद उत्तरकाशी के जूनियर हाईस्कूल बड़ेथी (धरासू) तहसील डुण्डा का हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में” श्री बलवीर सिंह नेगी एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
8. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।
9. नियम 315 के खण्ड (14) व (15) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

10. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हो।
11. कृषि मंत्री, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
12. कृषि मंत्री, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करेंगे।
13. पंचायती राज मंत्री, उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायत राज (छठ संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
14. पंचायती राज मंत्री, उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायत राज (छठ संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करेंगे।
15. मुख्य मंत्री, उत्तरांचल आपदा न्यूनीकरण, प्रबन्धन तथा निवारण विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
16. मुख्य मंत्री, उत्तरांचल आपदा न्यूनीकरण, प्रबन्धन तथा निवारण विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करेंगे।
17. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।
18. वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान :-
 - (1) संसदीय कार्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-01 विधान सभा के अन्तर्गत रु0 1293 हजार (बारह लाख तिरानवे हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिये स्वीकार की जाय।
 - (2) मुख्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-04-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत रु0 777 हजार (सात लाख सतहत्तर हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिये स्वीकार की जाय।
 - (3) मुख्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत रु0 89190 हजार (आठ करोड़ इक्यानवे लाख नब्बे हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिये स्वीकार की जाय।

(4) मुख्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें के अन्तर्गत **रु0 172659 हजार (सत्रह करोड़ छब्बीस लाख उनसठ हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिये स्वीकार की जाय।

(5) आबकारी मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-08-आबकारी के अन्तर्गत **रु0 1774 हजार (सत्रह लाख चौहत्तर हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिये स्वीकार की जाय।

(6) मुख्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-10-पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत **रु0 92132 हजार (नौ करोड़ इक्कीस लाख बत्तीस हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिये स्वीकार की जाय।

(7) शिक्षा मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-11-शिक्षा, खेल एवं युवाकल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत **रु0 488992 हजार (अड़तालीस करोड़ नवासी लाख बानवे हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिये स्वीकार की जाय।

(8) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-12-चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत **रु0 561885 हजार (छप्पन करोड़ अठ्ठारह लाख पचासी हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिये स्वीकार की जाय।

(9) आवास एवं नगर विकास मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-13-जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत **रु0 1149792 हजार (एक सौ चौदह करोड़ सत्तानवे लाख बानवे हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिये स्वीकार की जाय।

(10) संसदीय कार्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-14-सूचना के अन्तर्गत **रु0 19300 हजार (एक करोड़ तिरानवे लाख)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिये स्वीकार की जाय।

(11) मुख्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-15-कल्याण योजनायें के अन्तर्गत **रु0 361552 हजार (छत्तीस करोड़ पन्द्रह लाख बावन हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिये स्वीकार की जाय।

(12) श्रम एवं सेवायोजन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-16-श्रम और रोजगार के अन्तर्गत रु0 24067 हजार (दो करोड़ चालीस लाख सड़सठ हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिये स्वीकार की जाय।

(13) कृषि मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-17-कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत रु0 103918 हजार (दस करोड़ उन्तालीस लाख अठ्ठाह हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिये स्वीकार की जाय।

(14) मुख्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-18-सहकारिता के अन्तर्गत रु0 147500 हजार (चौदह करोड़ पचहत्तर लाख) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिये स्वीकार की जाय।

(15) मुख्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-19-ग्राम्य विकास के अन्तर्गत रु0 446007 हजार (चौवालीस करोड़ साठ लाख सात हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिये स्वीकार की जाय।

(16) मुख्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-20-सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत रु0 993545 हजार (निब्बानवे करोड़ पैंतीस लाख पैंतालीस हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिये स्वीकार की जाय।

(17) लोक निर्माण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-22-लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत रु0 1109200 हजार (एक सौ दस करोड़ बयानवे लाख) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिये स्वीकार की जाय।

(18) मुख्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-23-उद्योग के अन्तर्गत रु0 550454 हजार (पचपन करोड़ चार लाख चौवन हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिये स्वीकार की जाय।

(19) परिवहन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-24-परिवहन के अन्तर्गत रु0 415700 हजार (इकतालीस करोड़ सत्तावन लाख) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिये स्वीकार की जाय।

(20) पर्यटन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-26-पर्यटन के अन्तर्गत रु0 115000 हजार (ग्यारह करोड़ पचास लाख) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिये स्वीकार की जाय।

(21) वन एवं पर्यावरण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-27-वन के अन्तर्गत **रु0 339625 हजार (तींतीस करोड़ छियानवे लाख पच्चीस हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिये स्वीकार की जाय।

(22) मुख्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-28-पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत **रु0 53751 हजार (पांच करोड़ सैंतीस लाख इक्क्यावन हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिये स्वीकार की जाय।

(23) मुख्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-29-औद्योगिक एवं रेशम विकास के अन्तर्गत **रु0 18154 हजार (एक करोड़ इक्क्यासी लाख चौवन हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिये स्वीकार की जाय।

(24) मुख्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-30-अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत **रु0 529874 हजार (बावन करोड़ अठ्ठानवे लाख चौहत्तर हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिये स्वीकार की जाय।

(25) मुख्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-31-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत **रु0 76567 हजार (सात करोड़ पैंसठ लाख सड़सठ हजार)** रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिये स्वीकार की जाय।

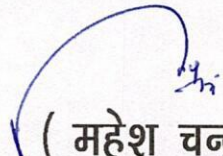
19. मुख्य मंत्री, उत्तरांचल विनियोग (2005-2006 का अनुपूरक) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
20. मुख्य मंत्री, उत्तरांचल विनियोग (2005-2006 का अनुपूरक) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करेंगे।
21. मुख्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल विनियोग (2005-2006 का अनुपूरक) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।
22. मुख्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल विनियोग (2005-2006 का अनुपूरक) विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

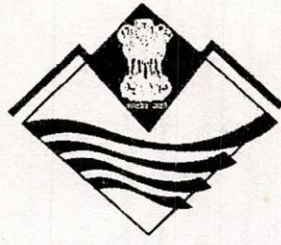
23. नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

24. प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 50 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत तदर्थ पदोन्नत अध्यापकों की ज्येष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में डा० नारायण सिंह जन्तवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 अक्टूबर, 2005 को दी गई सूचना पर, शिक्षा मंत्री का नियम-51 के अन्तर्गत वक्तव्य।

देहरादून :
दिनांक : 06 अक्टूबर, 2005

आज्ञा से,


(महेश चन्द्र)
सचिव।



उत्तरांचल विधान सभा

तृतीय सत्र, 2005
का प्रथम गुरुवार

उत्तरांचल विधान सभा की कार्यसूची

गुरुवार, 14 आश्विन, शक संवत्, 1927
(दिनांक : 06 अक्टूबर, 2005)

नत्थी “क”

अल्पसूचित प्रश्न

श्री विजय बड़थवाल
20-09-2005

* * 1. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कृषि निदेशालय का मुख्यालय किन कारणों से पौड़ी से देहरादून में स्थापित करने के आदेश निर्गत किये हैं? क्या यह सही है कि पौड़ी की जनता में इससे आक्रोश व्याप्त है? यदि हाँ, तो सरकार कृषि निदेशालय को पौड़ी में स्थापित करेंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

कृषि

श्री प्रकाश पन्त
22-09-2005

* * 2. क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में वॉल्यू एडेड टैक्स (वैट) लागू करने का निर्णय ले लिया गया है? यदि हाँ, तो कब से?

वित्त

नत्थी “ख”

ताराकित

श्री मदन कौशिक
03-06-2005

*1. क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल राज्य के किन जनपदों में पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो गया है तथा उक्त पंचायतों के चुनाव कब तक करा लिये जायेंगे? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि चुनाव पूर्ण होने तक पंचायतों की व्यवस्था हेतु क्या नीति बनायी गयी है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

पंचायती राज

श्री प्रीतम सिंह पंगार
14-06-2005

*2. क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री अवगत हैं कि उत्तरांचल में खादी ग्रामोद्योग की काष्ठ कला, लौह कला और रेशा उद्योग की पंजीकृत इकाइयों द्वारा निर्मित सामान को सरकारी विभागों व उपक्रमों में वरीयता व दर अनुबन्ध की सुविधा समाप्त होने के कारण सरकारी विभागों व उपक्रमों में स्थापित इकाइयों द्वारा तैयार माल की बिक्री नहीं हो पा रही है? यदि हाँ, तो सरकार इस दिशा में क्या उपाय कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

खादी एवं ग्रामोद्योग

डा० नारायण सिंह जन्तवाल
28-06-2005

*3. क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम सभाओं के विभाजन के क्या मानक हैं तथा यदि ग्राम सभा में एक ही राजस्व ग्राम हैं किन्तु जनसंख्या और क्षेत्रफल अत्यधिक है तो ऐसी ग्राम सभाओं के विभाजन हेतु क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है? मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या उक्त प्रक्रियानुसार कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं? यदि हाँ, तो कब तक निर्णय ले लिया जायेगा?

पंचायती राज

श्री प्रकाश पंत
11-07-2005

*4. क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य की जिला पंचायतों व क्षेत्र पंचायतों के नियन्त्रणाधीन कतिपय विभागों को किया गया है? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है? क्या पंचायत के अधीन किये गये सभी विभागों के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार त्रिस्तरीय पंचायतों को सौंप दिये गये हैं? यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है?

पंचायती राज

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट
12-07-2005

*5. क्या खाद्य मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में बी०पी०एल० के नये कार्डों का वितरण कर दिया गया है? यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

खाद्य

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत
23-07-2005

*6. क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज (खेल-कूद कालेज) रायपुर, देहरादून निर्माण हेतु भूमि अधिगृहण करते समय स्थानीय निवासी, जिनकी भूमि अधिगृहीत की गई थी को खेल-कूद कालेज में नियुक्ति में प्राथमिकता दिये जाने सम्बन्धित अनुबन्ध हुआ था? यदि हाँ, तो क्या अनुबन्ध के अनुसार प्रभावितों को नौकरियां दी गई? यदि हाँ, तो कितने लोगों को नौकरी दी गई? यदि नहीं, तो क्यों?

खेल

श्री हरभजन सिंह चीमा
23-07-2005

*7. क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के नगर पालिका क्षेत्र सितारगंज के अन्तर्गत लगभग 16 एकड़ के उद्यान को उत्तरांचल सरकार द्वारा देहरादून की सैनिक पुर्नवास कल्याण समिति को लीज पर दिया गया है? यदि हाँ, तो उक्त लीज की शर्तें क्या हैं? क्या मंत्री जी अवगत हैं कि संबंधित उद्यान को लीज धारक द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुये अन्य व्यक्ति को लीज पर दिया गया है? यदि हाँ, तो क्या यह सत्य है कि जिला उद्यान अधिकारी एवं सितारगंज में नियुक्त उद्यान अधिकारी द्वारा संबंधित लीज को निरस्त किये जाने हेतु शासन को पत्र लिखा गया है? यदि हाँ, तो शासन द्वारा उक्त प्रकरण पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

उद्यान

श्री हरबंस कपूर
29-08-2005

*8. क्या खाद्य आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि एल.पी.जी. गैस का कोटा केन्द्र सरकार द्वारा कम कर दिया गया है? यदि हाँ, तो इस कमी की प्रतिपूर्ति हेतु प्रदेश सरकार द्वारा कोई व्यवस्था की गयी है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

खाद्य

अतारांकित

श्री मदन कौशिक
03-06-2005

1. क्या लघु उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2004-2005 में कितने लघु-उद्योग स्थापित किये गये तथा लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने की दिशा में सरकार ने कोई कार्य योजना बनायी है? यदि हाँ, तो योजना का स्वरूप क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

लघु उद्योग

श्री मदन कौशिक
03-06-2005

2. क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में रेशम उत्पादन को ग्रामीणों के रोजगार से जोड़ने हेतु कोई नीति बनाई गयी है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

उद्यान

श्री बिशन सिंह चुफाल
04-06-2005

3. क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में तहसील तथा विकासखण्ड मुख्यालयों में मिनी स्टेडियम बनाने की योजना है? यदि हाँ, तो क्या सरकार डीडीहाट तहसील मुख्यालय में स्टेडियम स्वीकृत करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

खेल

श्री हरबंस कपूर
04-06-2005

4. क्या खाद्य आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून में गरीबी रेखा से ऊपर तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली कुल कितनी यूनिट है? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून ग्रामीण क्षेत्र में फर्जी राशनकार्ड बनाने का कोई मामला सज़ान में आया है? यदि हाँ, तो दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

खाद्य

श्री विजयपाल सिंह सजवाण
08-06-2005
श्री प्रीतम सिंह पंवार
30-06-2005

5. क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में निर्माणाधीन स्टेडियम मनेरा का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। यदि नहीं, तो कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा?

खेल

श्री प्रीतम सिंह पंवार
14-06-2005

6. क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के किन-किन विकासखण्डों में मिनी स्टेडियमों की स्थापना की जा चुकी है? शेष विकासखण्डों में कब तक मिनी स्टेडियमों का निर्माण पूर्ण करा लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

खेल

श्री प्रीतम सिंह पंवार
14-06-2005

7. क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड नौगांव के डामटा नामक स्थान पर खाद्यान्न गोदाम की स्थापना कब तक कर ली जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

खाद्य

श्री प्रीतम सिंह पंवार
14-06-2005

8. क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में जिला पंचायत राज अधिकारियों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? उनमें से कुल कितने पद सीधी भर्ती से, कितने पद आरक्षित वर्ग से तथा कितने पद पदोन्नति द्वारा भरे गये हैं? क्या यह सत्य है कि उक्त पदों में से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी की वरिष्ठता सूची के आधार पर पदोन्नति नहीं दी गयी है? यदि हाँ, तो वरिष्ठता सूची के आधार पर सरकार पदोन्नति प्रदान करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

पंचायती राज

श्री प्रीतम सिंह पंवार
15-06-2005

9. क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में हार्टिकल्चर टेक्नोलौजी मिशन में आपूर्ति किये जाने वाले पौधे हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर से मंगाये जा रहे हैं? यदि हाँ, तो क्यों? क्या उत्तरांचल के किसानों से भी इनकी आपूर्ति की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उद्यान

श्री पुष्पेश त्रिपाठी
21-06-2005

10. क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के चौखुटिया विकास खण्ड के अन्तर्गत बरलगांव, सिरौली, महत्तगांव, दन्तोला, महलचौरा, उलैणी, पान, चित्रेली, गैराड आदि गांवों के कच्चे पैदल सड़क मार्ग को पक्का करवाकर मुख्य सड़क मार्ग से जोड़ने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

पंचायती राज

श्री पुष्पेश त्रिपाठी
22-06-2005

11. क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत तहसील-द्वाराहाट और चौखुटिया में स्टेडियम या मिनी स्टेडियम का निर्माण कराये जाने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

खेल

श्री प्रीतम सिंह पंवार
23-06-2005

12. क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार बी.पी.एल. व ए.पी.एल. चिन्हीकरण मानक दिशानिर्देश (गाडलाईन) पुस्तिका उपलब्ध करवायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

प्रथम सोमवार के
अता0 136 में स्था0

श्री प्रीतम सिंह पंवार
23-06-2005

13. क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के शिक्षित बेरोजगार नौजवानों हेतु औद्यानिकी स्वरोजगार के रूप में अपनाने हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो योजना का प्रारूप क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

उद्यान

श्रीमती आशा नौटियाल
23-06-2005

14. क्या उद्यान मंत्री अवगत हैं कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत तुंगनाथ, मदमहेश्वर, खाममनणी, त्रियुगीनारायण, कार्तिकस्वामी आदि स्थानों पर बुग्याल तथा दुर्लभ जड़ी बूटियों की पैदावार हो रही है? यदि हाँ, तो क्या सरकार दुर्लभ किस्म की जड़ी बूटियों की पैदावार, संरक्षण तथा संवर्द्धन हेतु क्या उपाय कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

प्रथम मंगलवार के
अता0 91 में स्था0

श्री प्रीतम सिंह पंवार
30-06-2005

15. क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के वनचौरा नामक स्थान में खाद्य गोदाम स्थापित किया जा चुका है? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

खाद्य

श्री प्रीतम सिंह पंवार
30-06-2005

16. क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के कुल कितने स्वरोजगारियों द्वारा होटल ढाबे के प्रस्ताव वर्ष 2004-05 में राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये थे? उनमें से कुल कितने स्वरोजगारियों को वित्त पोषित किया जा चुका है?

खादी एवं ग्रामोद्योग

श्री प्रीतम सिंह पंवार
30-06-2005

17. क्या खेलकूद व युवा कल्याण मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के मनेरा में युवा छात्रावास का निर्माण काफी वर्षों पहले किया जा चुका है? यदि हाँ, तो उपरोक्त युवा छात्रावास का संचालन कब से प्रारम्भ किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

खेल

श्री बिशन सिंह चुफाल
30-06-2005

18. क्या पंचायती राज मंत्री बतायेंगे कि प्रथम विधान सभा के द्वितीय सत्र के लिये दि० 29-3-2005 को नियम-301 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट विकास खण्ड के चौरपाल-नागधूणा-रैतोला पैदल मार्ग को पक्का करने के संबंध में दिये गये उत्तर के संदर्भ में जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा भेजे गये प्रस्ताव की धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत कर दी गई है? यदि हाँ, तो कब तक पैदल मार्ग को पक्का कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो कब तक स्वीकृति प्रदान की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

पंचायती राज

डा० नारायण सिंह जन्तवाल
30-06-2005

19. क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि हार्टीकल्चर टेक्नोलाजी मिशन के अन्तर्गत कास्तकारों को क्या-क्या सहायता प्रदान की जाती है तथा जनपद नैनीताल में इस योजना के तहत कितने कास्तकार अब तक लाभान्वित हुये हैं?

उद्यान

श्री प्रकाश पंत
04-07-2005

20. क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में स्थित खेल स्टेडियम में बाक्सिंग, फुटबाल तथा बास्केट बाल के आवासीय केन्द्र स्थापित किये जाने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक इस पर निर्णय ले लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

खेल

श्री प्रकाश पंत
06-07-2005

21. क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार जनपद पिथौरागढ़ में विकासखण्ड विण के अन्तर्गत भुरभुनी, कुम्याचौड, गुरना में तथा विकासखण्ड मूनाकोट अन्तर्गत झौलखेत, आठगांव शिलिंग, बोली, सल्ला में मिनी खेल स्टेडियम निर्मित किये जाने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

खेल

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत
07-07-2005
श्री मदन कौशिक
13-07-2005

22. क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में खेलों के समुचित विकास हेतु व नये खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु सरकार द्वारा खेल नीति बनाई गई है? यदि हाँ, तो वह क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

खेल

डा० नारायण सिंह जन्तवाल
08-07-2005

23. क्या खेल मंत्री अवगत हैं कि नैनीताल शहर में ट्रेड हाकी कप प्रतियोगिता का आयोजन वर्ष 1982-83 से लगातार किया जा रहा है? यदि हाँ, तो इस राष्ट्रीय स्तर की हाकी प्रतियोगिता को और अधिक सुव्यवस्थित एवं बेहतर करने के लिये सरकार कोई आर्थिक सहायता देने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

खेल

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट
11-07-2005

24. क्या खाद्य मंत्री अवगत हैं कि उत्तरांचल में राशन की दुकानों में चीनी, चावल एवं गेहूँ की आपूर्ति बार-बार बाधित हो रही है? यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं? क्या सरकार राशन की दुकानों पर प्रत्येक माह राशन आपूर्ति सुनिश्चित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

खाद्य

श्री प्रकाश पंत
12-07-2005

25. क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में विभिन्न खेल प्रतिभाओं की व्यापक सम्भावना को देखते हुये क्या सरकार खेल विद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

खेल

श्री प्रकाश पंत
12-07-2005

26. क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार राज्य के पंचायत राज विधयेक को संशोधित करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक उक्त संशोधन कर दिये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

पंचायती राज

श्री प्रकाश पंत
13-07-2005

27. क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल स्थित राजकीय उद्यानों को लीज में दिये जाने की तिथि से 30 जून, 2005 तक सरकार को प्राप्त राजस्व का सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेंगे? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व जमा न करने वाली संस्थाओं/व्यक्तियों पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गयी? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

उद्यान

श्री हरभजन सिंह चीमा
23-07-2005

28. क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में उत्तरांचल सरकार द्वारा उत्तरांचल में स्थित उद्यानों को लीज पर दिया गया है? यदि हाँ, तो संबंधित उद्यानों का स्थान, उनका क्षेत्रफल, उनमें फलदार वृक्षों की संख्या, वृक्षों की आयु, लीज धारक संस्था का नाम व पता, लीज की अवधि एवं लीज राशि की तालिका सदन के पटल पर रखेगी?

उद्यान

श्रीमती विजय बड़थवाल
26-07-2005

29. क्या खाद्य मंत्री अवगत हैं कि अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न जनपद पौड़ी गढ़वाल के दूर दराज के गांवों में नहीं पहुँच रहा है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त राशन क्षेत्रवासियों को उपलब्ध करवायेगी?

खाद्य

श्रीमती विजय बड़थवाल
30-07-2005

30. क्या खाद्य मंत्री अवगत हैं कि उत्तरांचल के पर्वतीय जनपदों की जनता गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है? यदि हाँ, तो क्या सरकार ऐसे निर्धन लोगों को जिनके बीपीएल कार्ड नहीं बने हैं को चिन्हित कर कन्ट्रोल दर पर राशन उपलब्ध करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

खाद्य

श्री प्रीतम सिंह पंवार
08-08-2005

31. क्या पंचायती राज मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव में ग्राम पंचायत अधिकारियों के 10 पद लम्बे समय से रिक्त हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर तैनाती करने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

पंचायती राज

श्री प्रीतम सिंह पंवार
08-08-2005

32. क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव में 26-27 जुलाई, 2005 को अतिवृष्टि भूस्खलन के कारण बड़कोट से आगे राजमार्ग कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त होने के कारण राशन सप्लाई बन्द हो गयी थी? यदि हाँ, तो सरकार द्वारा राशन आपूर्ति की क्या व्यवस्था की गयी है? क्या सरकार प्रत्येक वर्ष बरसात में होने वाली परेशानियों के मध्यनजर राना अथवा स्यानाचट्टी में राशन भण्डार स्थापित करने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

खाद्य